भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1595
बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

पवन सौर हाइब्रिड नीति

1595. श्री कृष्ण प्रसाद देन्नेटी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शीघ्र ही पवन सौर हाइब्रिड नीति लागू करने का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के एक भाग के रूप में ऐसी किसी परियोजना को आन्ध्र प्रदेश में विशेषकर बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कार्यान्वित करने का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) देश भर में अब तक चिन्हित स्थानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) सरकार ने दिनांक 14 मई, 2018 को राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति जारी की, जिसका उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, ट्रांसमिशन अवसंरचना तथा भूमि के सर्वोत्तम और कुशल उपयोग के लिए बड़ी ग्रिड कनेक्टेड पवन-सौर पीवी हाइब्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्रेमवर्क प्रदान करना है। नीति का उद्देश्य, पवन और सौर पीवी संयंत्रों के संयुक्त प्रचालन से जुड़ी नई प्रोद्योगिकियों, पद्धतियों और तरीकों को प्रोत्साहित करना है। नीति का कार्यान्वयन, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए), जैसे कि सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा पीक पावर के दौरान सुनिश्चित आपूर्ति, सतत और प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) और चौबीसों घंटे (आरटीसी) अक्षय ऊर्जा सहित पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए बोलियों के माध्यम से किया जाता है। दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार, लगभग 1.44 गीगावाट हाइब्रिड परियोजनाएं पहले ही चालू की जा चुकी हैं।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान ने लगभग 53 गीगावाट पवन-सौर हाइब्रिड विद्युत की संभाव्य क्षमता वाले सात पवन वाले राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना में संभावित क्षेत्रों की पहचान की है। तथापि, ऐसी परियोजनाओं के सटीक स्थान का निर्धारण डेवलपर्स द्वारा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य में पीक घंटों के दौरान सुनिश्चित आपूर्ति, एफडीआरई और आरटीसी परियोजनाएँ सहित पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

'पवन सौर हाइब्रिड नीति' के संबंध में पूछे गए दिनांक 31.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1595 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	बोली	डेवलपर का नाम	आवंटित क्षमता (मेगावाट)	परियोजना स्थल
1	सेकी-सुनिश्चित पीक पावर	मैसर्स ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड	900	कुर्नूल, आंध्र प्रदेश
2	सेकी पवन सोलर हाइब्रिड ट्रांश-6	मैसर्स एसीएमई क्लीनटेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	380	अनंतपूर, आंध्र प्रदेश
3		मैसर्स एएमपी एनर्जी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड	100	नांदयाल, आंध्र प्रदेश
4		मैसर्स हीरो सौर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	120	कुर्नूल, आंध्र प्रदेश
5		मैसर्स रिन्यू विक्रम शक्ति प्राइवेट लिमिटेड	600	अनंतपुर, आंध्र प्रदेश
6	एसजेवीएन एफडीआरई ट्रांश-1	मैसर्स क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी हाइब्रिड थ्री प्रा. लि.	120	नांदयाल, आंध्र प्रदेश
7	एनटीपीसी पवन सौर हाइब्रिड ट्रांश-4	मैसर्स एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड	750	आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 350 मेगावाट की सौर क्षमता और 250 मेगावाट की पवन क्षमता। शेष 400 मेगावाट सौर क्षमता पोखरण राजस्थान में।
8	एनटीपीसी, एफडीआरई	मैसर्स एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड	300	आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 500 मेगावाट की पवन क्षमता और 50 मेगावाट की ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (ईएसएस)। शेष 300 मेगावाट सौर क्षमता बाड़मेर, राजस्थान में।

*****